प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 11.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ छुन्ना पुत्र रामदास निवासी ग्राम पाण्डेयताला बलवापुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष को आने जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं को देखकर अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0303/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त रजनीश पुत्र ओमनारायण निवासी मोहल्ला केशवनगर ,कस्बा व थाना रसूलाबाद ,जनपद कानपुर देहात ,उम्र करीब 18 वर्ष को झींझक तिराहे के पास आने जाने वाली महिलाओं व लडकियो को देखकर गाने गाना व गन्दे इशारे करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 428/2025 धारा 296 BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त कुनाल सिंह उर्फ अमन पुत्र स्व0 कुलदीप निवासी ग्राम बरौर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 25 को सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वाली महिलाओ व लडकियों को देखकर गंदे कमेन्ट करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश पुत्र त्रिलोकीनाथ निवासी कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद अवैध देशी शराब पऊआ मार्का जानेमन बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 60आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज यादव पुत्र श्री धर्म सिंह यादव निवासी ग्राम गुरैयन थाना रेउना जनपद कानपुर नगर, उम्र 22 वर्ष को सार्वजनिक स्थान देवदानी तालाब काली माता मन्दिर के सामने खडे होकर आने जाने वाली महिलाओ/लडकियो को देखकर अश्लील गान गाने जिससे महिलाओ/लडकियों को शर्मिंदगी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 90/25 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।